

दत्तक ग्रहण जागरूकता माह

स्रोत: पी.आई.बी

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) ने कानूनी दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिये नवंबर माह को राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता माह के रूप में मनाता है।

- **परिचय:** यह कशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
 - यह भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिये नोडल निकाय है, जिसने देश के अंदर और अंतरदेशीय स्तर पर गोद लेने की निगरानी और वनियमन का दायित्व सौंपा गया है।
 - भारत में अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण, **अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण पर हेग कन्वेंशन, 1993** का पालन करता है, जिसने भारत सरकार ने वर्ष 2003 में अनुमोदित किया था।
- दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 का विषय **"देखदेख और पालन-पोषण की भावना द्वारा बड़े बच्चों का पुनर्वास"** है।
- **हेग कन्वेंशन** एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जो उन बच्चों की त्वरित वापसी को सुनिश्चित करती है, जिनका "अपहरण" कर उन्हें उस जगह पर रहने से वंचित कर दिया गया है, जहाँ वे रहने के अभ्यस्त हैं।
 - जब बच्चा 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो यह अभिसमय लागू नहीं होता है।

और पढ़ें: [भारत में दत्तक ग्रहण](#)